

मि.स.3(01)/2018-स्थापना / 115-202

भारत सरकार Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare

विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन Krishi Vistar Bhawan

आई.ए.एस.आर.आई .कैंपस IASRI Campus

पूसा ,नई दिल्ली Pusa, New Delhi 110012

दिनांक १४ फरवरी, 2022

VACANCY CIRCULAR

Sub.: Filling up of One (01) vacancy of Stenographer Grade-I in the Level-6 (Rs.35400-112400) in the Directorate of Extension by deputation basis (including short-term contract) regarding.

The undersigned is directed to say that One (01) vacancy of Stenographer Grade-I in the Pay Level-6 (Non-Gazetted) (Ministerial) (Rs.35400-112400) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by deputation basis (including short-term contract).

Deputation (Including Short-Term Contract):

Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Public Sector Undertaking or Universities or recognized Research Institute or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations.

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
or
(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix in the parent cadre or department;
or
(iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix in the parent cadre or department.

Note :1 The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including Short Term Contract) including period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.


Continued on next page 2...

O/c
[Signature]
[Signature]

The selected officer will have the option either to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Ministry of Finance instructions issued from time to time or gets his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the normal duties.

It is requested that the vacancies may kindly be accorded due publicity and the applications, with details of service particulars in the enclosed proforma as per Annexure, from suitable and willing Officials, along with duly attested photocopies of ACRs/APARs for the last 5 years, may kindly be forwarded to the undersigned, by name within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.

While forwarding the applications, it may also please be verified and certified that the particulars furnished by the applicant are correct and that no vigilance proceedings are pending or being contemplated against the officer. The integrity of the Officials may also be certified. It may also please be made clear that in the event of selection, the candidate will not be allowed to withdraw his/her candidature and will be relieved immediately. Incomplete applications or application received without up-to-date ACRs/APARs dossier will not be considered.


(Y.P. Bhatt)

Dy. Director (Admin)

011-25847717 & 011-25846467

Distribution:

1. All Ministries/Department of Government of India.
2. All Attached/Subordinate Offices of the Department of Agriculture & Farmers Welfare.
3. Chief Controller of Accounts, Deptt of Agriculture & Farmers Welfare, 16A, Akbar Road, Hutment, New Delhi.
4. Controller General of Accounts, Deptt. of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-1100571
5. PSU's/All Autonomous Bodies
6. D.G., Director General of Resettlement, Ministry of Defence, West Block-IV, RK Puram, New Delhi - 110066
7. Nodal Officer, DOE for uploading on DA/DOE website
8. Notice Board, DOE., Pusa, New Delhi
9. Guard file.

मि.सं.3-01/2018-स्था.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
पूसा, नई दिल्ली - 110012
दिनांक: 26 फरवरी, 2022

रिक्ति परिपत्र

विषय: विस्तार निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रुपये के स्तर 6 में आशुलिपिक (ग्रेड-1) (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय) के एक पद को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरे जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पूसा नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रुपये के स्तर 6 में आशुलिपिक (ग्रेड-1) (अराजपत्रित)(अनुसचिवीय) के एक पद को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरा जाना है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-

भर्ती नियमों के तहत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5, (रु. 29,200-92,300) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (रु. 25,500-81,100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पणी:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)



चयनित कर्मचारी को, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में अपने वेतन के साथ-साथ प्रतिनियुक्त भत्ता लेने अथवा सामान्य नियमों के तहत पद से संबद्ध वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।

अनुरोध है कि रिक्ति का सम्यक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं इच्छुक कर्मियों के आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा में उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां व सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ, इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के भीतर, कृपया अधोहस्ताक्षरी के नाम से भेजें।

आवेदन पत्र अद्योषित करते समय यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विवरण सत्य है और कार्मिक के विरुद्ध सतर्कता से संबंधित न तो कोई मामला लंबित है और न ही विचाराधीन है। कार्मिक की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि नियुक्ति होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों और बिना गोपनीय रिपोर्ट के प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

(वाई.पी. भट्ट)

उप निदेशक (प्रशासन)

दूरभाष नं. - 011-25846467, 25847717

वितरण:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 16-ए, अकबर रोड, हटमेंट्स, नई दिल्ली।
4. महालेखा नियंत्रक, राजस्व विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली -
5. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय
6. डी.जी., महानिदेशक (Resettlement), रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक- IV, आरके पुरम, नई दिल्ली - 110066
7. नोडल अधिकारी, विस्तार निदेशालय को डी.ए./डी.ओ.ई. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. सूचना पट्ट
9. गार्ड फाइल

जीवन वृत्त / प्रोफार्मा

क्रम सं.	विवरण				
1	नाम और पता (साफ अक्षरों में)				
2	जन्म तिथि (ईसवी सन् में)				
3	केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि				
4	शैक्षणिक योग्यता				
5	क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि किसी योग्यता को नियम के अंतर्गत समतुल्य योग्यता के रूप में माना गया है तो, उसे स्पष्ट करें)				
	आपेक्षित योग्यताएं / अनुभव			अधिकारी द्वारा धारित योग्यता / अनुभव	
	अनिवार्य				
	(1)				
	(2)				
	(3)				
	वांछनीय				
	(1)				
	(2)				
6	ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आधार पर, कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप पद की अपेक्षार्यें पूरी करते हैं ?				
7	कालक्रमानुसार नियोजन का विवरण यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें और उस पर अपने हस्ताक्षर करके विधिवत प्रमाणित करें ।				
कार्यालय / संस्थान / संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्य का स्वरूप

8	वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अतवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थाई	
9	यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर हो तो, कृपया बताएं:	
	(क) आरम्भिक नियुक्ति की तिथि	
	(ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि	
	(ग) वर्तमान कार्यालय / संगठन का नाम जिसमें आप इस समय कार्यरत हैं।	
10	क्या आप संशोधित वेतमान में हैं ? यदि हों तो संशोधन की तिथि और संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं।	
11	इस समय प्रतिमाह प्राप्त की जा रही कुल परिलब्धियां।	
12	इस पद के लिए स्वयं को उपयुक्त बताने के समर्थन में कोई अतिरिक्त सूचना हो तो बताएं। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें।	
13	क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं ?	
14	कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपने प्रतिनियुक्ति पर या स्थानान्तरण आधार पर आवेदन किया है ?	
15	टिप्पणी	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित.....
(नियोजक)